पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल वांछित में कुल 10 अभियुक्त व एन0बी0डब्ल0ू में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08–11–2022

दिनांक 07/08–11–2022 को रात्रि थाना चिनहट 04, थाना गौतमपल्ली 02, थाना गुडम्बा 01, थाना महानगर 02, थाना पारा 01 व एन0बी0डब्ल0ू में थाना चिनहट 01, थाना गुडम्बा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 10 अभियुक्त व एनबीडब्लू में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना नगराम–दिनांक 07.11.2022 को एस0आई0 श्री अमित बंसल थाना नगराम द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–ननकऊ पुत्र परमेश्वर निवासी–ग्राम नौवाखेड़ा थाना नगराम लखनऊ को ग्राम नौवाखेड़ा थाना नगराम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 07 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना इन्दिरानगर–दिनांक 08.11.2022 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, विभूतिखण्ड लखनऊ द्वारा थाना इन्दिरानगर पर एक डेथ मेमो इस आशय का भेजा गया कि श्री संतोष कुमार मिश्रा पुत्र राम लाल निवासी–दीन दयाल पुरम थाना इन्दिरानगर लखनऊ को दिनांक 08.11.2022 को समय करीब 09.35 बजे सुबह इस चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अरविन्द कुमार मो0नं0 6387377734 थाना इन्दिरानगर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि श्री संतोष कुमार उपरोक्त मूलरूप से मझेला टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं, जो कि इन्दिरानगर में किराये का कमरा लेकर सपरिवार रहते हैं। आज दिनांक 08.11.2022 को समय करीब 08.00 बजे सुबह इलेक्ट्रिक बोर्ड सही करते समय सतोंष कुमार मिश्रा उपरोक्त को बिजली का कंरट लग गया जिन्हें उनके परिजनों द्वारा इलाज के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, विभूतिखण्ड ले जाया गया जहां पर डाक्टरों ने संतोंष कुमार मिश्रा उम्र करीब 40 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। मृतक लखनऊ में आटो चलाता था। मृतक के 02 लड़के हैं।

थाना गाजीपुर–दिनांक 08.11.2022 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वादी श्री शैलेश कुमार पुत्र स्व0 शिव प्रसाद अग्रहरि निवासी–अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि वादी का इंडसइंड बैंक में खाता है। वादी को जो मोबाइल नं0 उक्त बैंक के खाते से लिंक है उस मो0नं0 को वादी ने काफी दिनों से बन्द कर दिया था और समय के अभाव के कारण वादी अपने खातें में दूसरा नम्बर अपडेट नहीं करा पाया था। जब वादी ने 28.10.2022 को अपने इंडसइंड बैंक के खाते से आधारकार्ड के माध्यम से बसखारी जनसेवा केन्द्र से 10 हजार रूपये निकाले तो वादी के खाते में बचा हुआ बैलेंस सही था। दिनांक 04.11.2022 को वादी ने पुनः जनसेवा केन्द्र बसखारी से आधार कार्ड से 10 हजार रूपये निकाले तो वादी के खाते में बैलेन्स सही नही था। तब वादी ने नजदीकी शाखा पर गया और वहां से अपने खाते को स्टेटमेंट निकलवाया तो वादी के खाते से यू0पी0आई0 के माध्यम से 2,95,199/–रूपये(दो लाख पंचानबे हजार एक सौ निन्यानवे रूपये) का अन्तर था। **इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 556/2022 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**